आहारदान की निम्न आवश्यक पात्रताये एवं निर्देश

आहारदान की निम्न आवश्यक पात्रताये एवं निर्देश

1. आहारदाता का प्रतिदिन देव दर्शन का नियम, रात्रि का भोजन का त्याग, सप्त व्यसनो का त्याग तथा सच्चे देव, शास्त्र गुरू को मानने का नियम होना चाहिये |
2. बालक / बालिका आठ वर्ष के उपरांत आहार दे सकते है और विवेकशील समझदार नही है तो 16 वर्ष तक के होने पर भी नही दिलाना चाहिए
3. जिनका आय का श्रोत हिंसात्मक व अनुचित न हो | (शराब का ठेका, जुआ, सटटा खिलाना, किटनाशक दवाये , ब्युटी पार्लर, नशीली वस्तु का व्यापार)
4. जिनके परिवार मे जैनोत्तरो से विवाह संबंध न हुआ हो अथवा जिनके परिवार मे विधवा विवाह संबंध न हुआ हो |
5. जो अपराध दिवालिया पुलिस केस सामाजिक प्रतिबंध आदि से परे हो | (मुर्ख न हो, कंजुस, दरिद्र , निंदय न हो)
6. जो हिंसक प्रसाधनो (लिपिस्टिक, नेलपेंट, चमडे से बनी वस्तुएँ, लाख की चुडी, हाथी दात व चीनी के आभूषण) रेशम के वस्त्रो , सेंट , पाउडर क्रिम , डियोडरेन्ट आदि का उपयोग न करते हो एव नाखून बढाने न हो |
7. जो किसी भी प्रकार के जुते चप्पल आदि का निर्माण या व्यवसाय करते है | वे भी आहार देने के पात्र नही है |
8. जो भुण हत्या गर्भपात करते है करवाते है एवं उसमे प्रत्यक्ष /परोक्ष रूप से सहभागी होते है संबंधित दवाई आदि बेचने के रूप मे वेभी आहार देने पात्र नही है |
9. जो हिंसक खादय पदार्थो जैसे कंपनी पैक आइसक्रिम, नमकीन , चिप्स , बिस्कुट , चॉकेलट , नुडल्स , स्नेक्स, कोल्ड ड्रिंक्स , टुथ पेस्ट , टुथ पाउडर , जैम , सोस , ब्रेड च्युंगम आदि का प्रयोग नही करते हो |
10. यदी शरिर मे घाव हो या खून निकल राहा हो एवं बुखार, सर्दी खाँसी, कँसर, टी . बी . , सफेद दाग आदि रोगो के हाने पर आहार न देवे |
11. रजस्वला स्त्री छटवे दिन साधु को आहार देने के योग्य शुध्द होती है | अशुध्दि के दिनों मे चौके से संबंधित कोई कार्य नही करे और खादय सामग्री शोधन भी न करे | बर्तन भी जो स्वयं के प्रयोग मे लिये है उन्हे अग्नि के द्वारा शुध्द करना चाहिए | गर्भवती महिला 5 वे महिने तक ही आहार दे सकती है |